

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 2073 / 18सी.
सेवा में,

दिनांक, रानीखेत, 5-9-2018

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी 0-6 है 0 4-6 से बयेला नाइ मोटर मार्ग कि निर्माण हेतु 4.417 है 0 वन भूमि का लो 0 नि 0 वि 0 को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं. 9364/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 08ब 0/यू 0 सी 0 पी 0/06/112/2015/एफ 0 सी 0/947 दिनांक 07.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुसार 8.834 हे. ग्राम फल्दाणी की सिविल एवं सोयम भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं. 5342/ग्यारह-19/2017-18 दिनांक 30.07.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया है, आदेश की प्रति संलग्न है एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, 10 वर्षों तक रखरखाव ₹ 2237935.00, UTR नम्बर SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.01.2018 जमा कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है।
2. शर्त संख्या-2 एन 0 पी 0 वि 0 की धनराशि ₹ 3732365.00 UTR नम्बर SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.01.2018 कुल ₹ 5970300.00 मात्र आन लाईन द्वारा जमा कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुसार भविष्य में यदि एन 0 पी 0 वि 0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई राशि अतिरिक्त जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त संख्या-5 सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र संख्या 11-306/2014-एफ.सी. दिनांक 8.8.14 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 4949/111(2)/2014-03(सामा.)/208 टी.सी. दिनांक 9.9.14 द्वारा लो 0 नि 0 वि 0 को निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्तों का अनुपालन हो जाने पर इसी को ही पेड़ कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मान लिया गया है, तदनुसार योजना का क्रियान्वयन शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की पातन की कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पत्र लेट

भवदीय,

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक / 18सी.

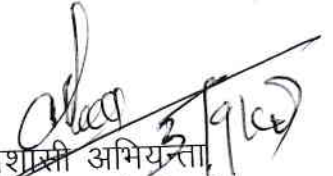
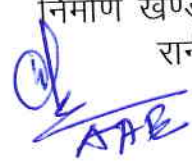
तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

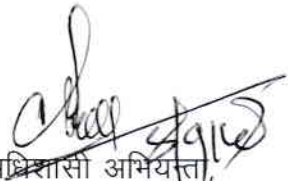
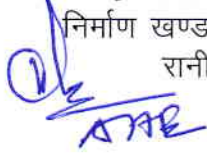
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला-नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा।


अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत 

AAR

एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण पत्र।

परियोजना का नाम:— द्वाराहाट—सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला—नाड़ मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय / भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


अधिरासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0मि0वि0
रानीखेत 50


AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-01-2018	
Agency Name:	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	11393642015267
Location:	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division P.W.D. Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	5970300/-
Amount in Words : Fifty-Nine Lakh Seventy Thousand Three Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	1508911393642015267
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
RANIKHET (Almora)

58 JNR52018011800647037.

18/1/2018

नं० 3278
दल नं० 18/17
नॉक 6-8-18

:-आदेश:-

जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड द्वाराहाट, के अन्तर्गत द्वाराहाट सुरईखेत मोटर मार्ग में बयला-नाड मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.417 हैक्टेयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल-8.834 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1332/XVIII(II)/2014-18(59)/2013, दिनांक 07 जुलाई, 2014 के प्राविधानों के आधार पर उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति के साथ प्राप्त तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 148/र.का.क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014-15 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत के पत्रांक संख्या-1378/27री, दिनांक 22-06-2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 13.12.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप-2 तथा तहसीलदार/उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू०सी०पी०/06/112/2015/एफ०सी०/747, दिनांक 07.09.2017 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु ग्राम-फल्दाडी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-फल्दाडी, तहसील-द्वाराहाट के गै०ज० वि०ख०खा०संख्या-145 की श्रेणी-9(3)ग "गोचर पशुचर" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212, मध्य, 4244 व 4246 कुल अर्थात् कुल 14 खेत नम्बरानों की कुल 8.834 हैक्टेयर 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

वन विभाग

(नितिन सिंह भदौरिया)

जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 5342/ग्यारह/19/18/2017-18, दिनांक 30 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट।
- 4- अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत।
- 5- तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

Trucomy
Assistant Engineer
Const. Division P.W.D.
Ranikhet

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा